

**जनपद - जालौन, उत्तर प्रदेश**  
**प्रेस नोट सं0 104, दिनांक – 18.10.2019**

दिनांक 17.10.2019 को थाना एट पुलिस द्वारा 02 शराब तस्करों को अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण –**

1 – रूपेश कबूतरा पुत्र बन्नो कबूतरा निवासी विरासनी कबूतरा डेरा गांव विरासनी थाना एट जनपद जालौन।

2 – आजाद कुमार पुत्र जगदीस प्रसाद निवासी गांव धुरट थाना कोटरा जनपद जालौन।

**बरामदगी का विवरण –**

1 – 12 ड्रमों में लगभग 1200 लीटर नाजायज कच्ची देशी शराब।

2 – शराब बनाने की भट्टी एवं अन्य उपकरण

3 – 5 किलोग्राम यूरिया खाद

**गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय –**

अभियुक्तगणों को जनपद जालौन के थाना क्षेत्र एट के कबूतरा डेरा के पास से आज दिनांक 17.10.2019 को समय 23.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ0 सतीश कुमार के निर्देशन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये सघन चैकिंग अभियान के क्रम में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 अवधेश सिंह के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी कोंच श्री शीशराम के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष एट मय फोर्स मय हमराहीगणों द्वारा क्षेत्र में रोकथाम अपराध, शराब तस्करों, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर, वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान दो अभियुक्तगण को भट्टी पर कच्ची शराब बनाते हुये एवं मौके से 12 ड्रमों में 1200 लीटर कच्ची शराब नाजायज व शराब बनाने के उपकरण एवं यूरिया आदि वरामद कर गिरफ्तार किया गया एवं भारी मात्रा में लहन नष्ट किया गया।

इस सम्बन्ध में दिनांक 18.10.2019 को थाना एट पर मु0अ0सं0 309/19 धारा 60(2) आबकारी अधि0 व 272 भादिव वनाम 1. रूपेश कबूतरा पुत्र बन्नो 2. आजाद कुमार पुत्र जगदीस प्रसाद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –**

1 – श्री अरूण कुमार तिवारी थानाध्यक्ष एट जनपद जालौन

2 – उ0नि0 सुशील पाराशर थाना एट जनपद जालौन

3 - उ0नि0 शिवकरन वर्मा थाना एट जनपद जालौन

4 - उ0नि0 विजय द्विवेदी थाना एट जनपद जालौन

5 – का0 1576 नरेन्द्र सिंह थाना एट जनपद जालौन

6 – का0 58 उमेस कुमार थाना एट जनपद जालौन

7 – का0 2013 रामलोटन थाना एट जनपद जालौन

8 – का0चा0 मनोज कुमार थाना एट जनपद जालौन